नरेगा के आधिकारिक आंकड़ों के आईने में पर्यावरण, जीविका और रोजगार-सृजन
(सात राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन)

--चंदन श्रीवास्तव, शंभु घटक

प्रस्तुत आलेख को लिखने की मनोभूमि का निर्माण कुछ मीडिया-रिपोर्टों से हुआ। बीते साल(2014) अक्तूबर के महीने में इस आशय की खबरें आईं कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) का अमल देश के 200 सर्वाधिक गरीब जिलों तक ही सीमित करना चाहती है। मीडिया में आ रही खबरों के बीच देश के अग्रणी अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मनरेगा के पक्ष में तर्क देते हुए उसमें बदलाव ना करने की अपील की। इस अपील ने मीडिया में एक बहस का रुप लिया(जिसका प्रस्तुत आलेख में संकेत किया गया है)। बहस के एक सिरे से अगर यह कहा जा रहा था कि मनरेगा में मजदूरी के रुप में दिए जाने वाले एक रुपये पर, पूरे पाँच रुपये का खर्चा बैठता है और इस कारण यह पूरी योजना "लचर" है तो दूसरे सिरे से इस तर्क को खारिज करते हुए कहा गया कि नरेगा सिर्फ रोजगार या कह लें "आमदनी के हस्तांतरण" का जरिया भर नहीं है। यह बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय तथा सांगठनिक गतिविधियों की संभावनाशील आधारशिला है।

आलेख में मीडिया में चली इस बहस का संज्ञान लेते हुए यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या मनरेगा सचमुच आमदनी के हस्तांतरण का एक अलाभकारी जरिया भर है, जैसा कि मुख्यधारा की मीडिया के एक हिस्से में बीते साल(अक्तूबर 2014) में कहा गया या मनरेगा द्वारा सृजित संपदाओं का विशेष उत्पादक-मूल्य है, जिससे संबंधित गणनाएं और आकलन अक्सर मीडिया में रिपोर्ट होने से रह जाती हैं। आलेख का प्रयास मनरेगा के अंतर्गत जीविका और रोजगार-सृजन के क्रम में पर्यावरण के पक्ष को मिलते महत्व उसके उत्पादक-मूल्य को रेखांकित करना है।

परिचय

हालांकि सार्वजनिक चर्चा में मनरेगा मुख्य रुप से देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन और रोजगार गारंटी के कार्यक्रम के रुप में देखा जाता है और मनरेगा की नीतिगत परिकल्पना भी उसे रोजगार सृजन तथा रोजगार गारंटी से ही जोड़ती है लेकिन अपने क्रियान्वयन के तकरीबन एक दशक में मनरेगा के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों का दायरा विस्तृत हुआ है। इसके

अनुकूल मनरेगा की रोजगार-सृजन की संभावनाओं के विस्तार के साथ उसमें पर्यावरण-संरक्षण का पक्ष को प्रधानता मिली है लेकिन मनरेगा से जुड़े पर्यावरण-संरक्षण के पक्ष पर सार्वजनिक रुप से बहुत कम चर्चा हुई है। राज्यों से उठती मांग के अनुरुप वर्ष 2013 में जारी दिशा-निर्देशों में कृषि और कृषि से जुड़े अन्य काम तथा मनरेगा के तहत किए जाने वाले काम के बीत बेहतर तालमेल बैठाने की कोशिश की गई और मनरेगा के तहत अनुमोदित कामों में वर्षा-सिंचित कृषि की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए कई कार्यों जैसे जल-संरक्षण, जल-आच्छादन, परंपरागत जलाशयों का नवीकरण तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले निर्माण संबंधी काम को शामिल किया गया।

वर्ष 2013 में जारी दिशा-निर्देश में मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले काम से नीतिगत स्तर पर यह अपेक्षा की गई कि इससे ग्रामीण आबादी के सर्वाधिक गरीब तबके को दिए जाने वाले रोजगार के कार्य-दिवसों में इजाफा होगा, साथ ही खेती के लिए वर्षाजल पर आश्रित इलाकों में पर्यावरण के संरक्षण-संवर्धन के लिहाज से तात्कालिक और दूरगामी प्रकृति के फायदे होंगे। वर्ष 2013 में जारी नये दिशा-निर्देशों के तहत मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के विस्तार के इसी विशेष संदर्भ में इस शोध-अध्ययन में खेती के लिए वर्षा-जल पर आश्रित राज्यों में शुमार बिहार, झारखंड, ओड़िशा , उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों से संबंधित आधिकारिक आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर राज्य विशेष में मनरेगा के अंतर्गत हुए रोजगार-सृजन का उस राज्य में जीविका तथा पर्यावरण, विशेषकर, जल-संरक्षण की दृष्टि से हुए प्रभाव का संख्यात्मक आकलन किया जाएगा।

अनुसंधान का परिप्रेक्ष्य

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 25 अगस्त 2005 को अमल में आने के बाद से अपने क्रियान्वयन के नौ साल पूरे कर चुका है। एक्ट शुरुआती तौर पर 2 फरवरी 2006 को एक अधिसूचना के जरिए देश के सर्वाधिक पिछड़े 200 जिलों में जारी किया गया और इसके बाद दो चरणों में इसे पूरे देश में लागू किया गया। 2 अक्तूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के रुप में नया नाम पाने वाली यह योजना अनेक अध्ययनों में ठीक ही विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना के रुप में देखा गया है।(देखें आलेख के अंत की लिंक संख्या-1)

ग्रामीण विकास में नरेगा के योगदान की समीक्षा पर केंद्रित ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट((2013-14) के प्रथम अध्याय के तथ्य इस बात की पुष्टी करते हैं। साल 2006 में शुरुआत के बाद से नरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को तकरीबन 1,63,754.41 करोड़ रुपयों का मजदूरी के रुप में भुगतान किया गया है और रोजगार के 1,657.45 श्रम-दिवसों का सृजन हुआ है। साल

2008 से औसतन सालाना 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इस कार्यक्रम के तहत रोजगार दिया जा रहा है।(देखें लिंक संख्या-2) नरेगा के कार्यों में 31 मार्च 2014 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी 48 प्रतिशत रही है। सृजित किए गए कुल श्रम दिवसों में महिलाओं की कार्य-प्रतिभागिता 48 प्रतिशत रही है जो कि अधिनियम में प्रावधानित महिलाओं की 33 प्रतिशत की अनिवार्य भागीदारी से ज्यादा है। नरेगा की शुरुआत के बाद से इसके अंतर्गत 260 लाख कार्य शुरु हुए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत साल 2013-14 में औसत मजदूरी प्रति श्रमदिवस 132.59 रुपये थी जो साल 2006-07 में भुगतान की गई औसत मजदूरी दर से दोगुनी है। कार्यकम में अधिसूचित मजदूरी दर में राज्यवार भिन्नता है। मेघालय में यह सबसे कम(153 रुपये) और हरियाणा में सबसे ज्यादा (236 रुपये) है।

हालांकि मनरेगा का मुख्य लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए मांगे जाने की स्थिति में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराना है लेकिन इस कार्यक्रम की मंशा रोजगार प्रदान करने के क्रम में ग्रामीण इलाके के गरीब परिवारों की जीविका की स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिए टिकाऊ आधार विकसित करने का भी है। लेकिन, मनरेगा के मूल्यांकन विषयक ज्यादातर सार्वजनिक चर्चाओं में इस कार्यक्रम के रोजगार-गारंटी के पक्ष की प्रधानता रही है, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के लिए जीविका की स्थितियों को टिकाऊ आधार प्रदान करने के लिहाज से संपदा-सृजन के पक्ष पर कम। मिसाल के लिए, मनरेगा का दायरा सिकोड़कर उसे देश के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों तक सीमित करने से जुड़ी खबरों को आधार बनाकर चली चर्चा को देखा जा सकता है।

साल 2014 में जब इस आशय की खबरें आईं कि केंद्र की नई सरकार मनरेगा को देश के 200 सर्वाधिक गरीब जिलों तक सीमित करना चाहती है, तो अर्थशास्त्री सरकार की मंशा के पक्ष और विपक्ष में बंटे नजर आये। सरकार की मंशा को जायज ठहराते हुए एक विख्यात अर्थशास्त्री मनरेगा को आर्थिक आधार पर ‘अकुशल’ करार देते हुए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तर्क दिया कि ‘मनरेगा के अंतर्गत खर्च किए जाने वाले राजस्व का औसतन 30% हिस्सा कार्य-सामग्री पर खर्च होता है जबकि 70% हिस्सा मजदूरी देने पर। अगर मान लिया जाय कि नरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 130 रुपये की दी जाती है तो किसी मजदूर को एक दिन के लिए काम पर रखने के लिए 186 रुपयों की जरुरत होगी और निष्कर्ष निकाला कि नरेगा में मजदूरी के रुप में दिए जाने वाले एक रुपये पर, पूरे पाँच रुपये का खर्चा बैठता है और इस कारण यह पूरी योजना "लचर" है।(देखें लिंक संख्या-3)

आर्थिक आधार पर मनरेगा को गैर-टिकाऊ साबित करने वाला यह तर्क अर्थशास्त्रियों के एक समूह द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी के जवाब में दिया गया था। चिट्ठी में मनरेगा को मौजूदा स्वरुप में जारी रखने की अपील की गई थी और उसके रोजगार-सृजन के पक्ष को रेखांकित करते

हुए कहा गया था कि 'अनेक बाधाओं के बावजूद नरेगा ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।बहुत थोड़े सी लागत(जीडीपी का 0.3प्रतिशत) से नरेगा के कार्यस्थलों पर हर साल तकरीबन 5 करोड़ परिवारों को रोजगार हासिल हो रहा है। नरेगा के मजदूरों में बहुसंख्या स्त्रियों की है और नरेगा में काम करने वाले तकरीबन 50 प्रतिशत मजदूर दलित या आदिवासी हैं।'(देखें लिंक संख्या-4)चिट्ठी में मात्र संकेत के रुप में यह दर्ज किया गया कि " नरेगा के व्यापक सामाजिक फायदे हैं जिसमें उत्पादक संपदाओं का सृजन भी शामिल है। " अर्थशास्त्रियों के बीच चली रही इस बहस के बीच में उत्पादक संपदाओं के सृजन का अर्थ खोलते हुए एक आलेख में कहा गया कि " नरेगा सिर्फ रोजगार या कह लें "आमदनी के हस्तांतरण" का जरिया भर नहीं है। यह बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय तथा सांगठनिक गतिविधियों की संभावनाशील आधारशिला है। '' आलेख में नरेगा के पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया था कि "नरेगा पर्यावरण-संरक्षण का भी उपयोगी साधन है। वृक्षारोपण या फिर मेंड़दार खत्तियों का निर्माण सामाजिक रुप से मूल्यवान है लेकिन ये कार्य स्वतःस्फूर्त भाव से नहीं होते क्योंकि ऐसे कार्यों का कोई तात्कालिक आर्थिक लाभ मिलता नहीं दिखता। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कामों, जैसे बेरोजगार मजदूर का पेट पालने की जरुरत से पेड़ काटकर जलावन बेचना, को भी रोकने में नरेगा मददगार है। जलवायु-परिवर्तन तथा पारिस्थितिकीगत अन्य संकटों के मद्देनजर नरेगा के पर्यावरणीय महत्व को बढ़ते जाना है। "(देखें लिंक संख्या-5) पर्यावरणीय महत्व के लिहाज से संपदा-सृजन करने का लक्ष्य नीतिगत रुप से मनरेगा के नये अवतार के रुप में सामने आया। ग्रामीण इलाके में जीविका, पर्यावरण और संपदा-निर्माण के बीच बेहतर तालमेल बैठाने के लिए मिहिर शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जब पिछली यूपीए सरकार ने मनरेगा के नये अवतार का शुभारंभ किया तो दिशा-निर्देशों के तहत कहा गया कि " मनरेगा और कृषि तथा उससे जुड़े ग्रामीण आजीविका के बीच सकारात्मक संबंध को मजबूत करने के लिए.....तथा ग्रामीण भारत में पारिस्थितिकीगत संतुलन को सुधारने और ग्रामीण आबादी को एक स्वच्छ, स्वास्थ्यकर पर्यावरण प्रदान करने के लिए मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले स्वीकृत कार्यों का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है। " यह शोध-आलेख मुख्य रुप से मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के बढ़े हुए दायरे के भीतर पर्यावरणीय महत्व के कार्यों तथा उससे जुड़ी जीविका के अवसरों के सृजन से संबंधित है।(देखें लिंक संख्या-6)

शोध प्रविधि

इस शोध-आलेख में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित द महात्मा गांधी नेशनल रुरल गारंटी एक्ट 2005 नामक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। पर्यावरण-संरक्षण, जीविका के अवसरों के निर्माण तथा मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों पर हुए व्यय से संबंधित आंकड़े वर्ष 2014-15 के हैं। वर्ष 2014-15 के आंकड़े लेने की एक वजह

मनरेगा के अंतर्गत जारी नए दिशा-निर्देश रहे हैं, जिनमें ग्रामीण इलाके में पर्यावरणीय महत्व और पारिस्थिकीगत संतुलन की प्राथमिकता से मनरेगा के संचालन की बात कही गई इसलिए वर्ष 2014-15 के आंकड़ों से पर्यावरणीय महत्व के कार्यों का आकलन संभव है। यह अध्ययन मनरेगा के अंतर्गत हुए पर्यावरणीय महत्व के कार्यों, संपदा-सृजन, जीविका के अवसर तथा व्यय का राज्यवार तुलनात्मक और संख्यात्मक आकलन प्रस्तुत करता है।

अध्ययनीत राज्यों में जीविका, रोजगार और पर्यावरण- एक आकलन

स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2011-12 के तथ्यों के अनुसार सकल फसली क्षेत्र में सकल सिंचित क्षेत्र का आकार साल 1990-91 से 2008-09 के बीच बढ़ा है। साल 1990-91 में देश में सकल सिंचित क्षेत्र का आकार 34 प्रतिशत था जो साल 2008-09 में बढ़कर 45.3 प्रतिशत हो गया लेकिन यह राज्यवार इस बढ़वार में बहुत असमानता है। पंजाब(98 प्रतिशत) और हरियाणा(85 प्रतिशत) जैसे राज्यों में सकल फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा संपन्न भूमि का आकार 75 प्रतिशत से ज्यादा है जबकि झारखंड(10प्रतिशत), छत्तीसगढ़(27 प्रतिशत), मध्यप्रदेश(33प्रतिशत), और राजस्थान(35 प्रतिशत) में पचास प्रतिशत से भी कम। उत्तरप्रदेश(76 प्रतिशत) और बिहार(61 प्रतिशत) की स्थिति जरुर इस मामले में पंजाब और झारखंड की तुलना में मध्यवर्ती स्तर की है। (देखें लिंक संख्या-7)

Table 1: Poverty ratio, irrigation coverage and rural unemployment rate in BIMARU states

State Name	%age of BPL in rural areas*	No. of BPL persons in rural areas(in lakhs)*	Irrigation Coverage in 2008-09**	Rural Unemployment Rate per 1000 for persons aged 15 years and above according to usual principal status
Bihar	40.1	376.8	61	67
Chhattisgarh	49.2	97.9	27	38
Jharkhand	45.9	117	10	77
Madhya Pradesh	45.2	241.4	33	25
Odisha	47.8	169	35	56
Rajasthan	21.4	112	35	64
Uttar Pradesh	38.1	600.9	76	59
India	30.9	2605.2	45	47

Source:

* *Rangarajan Committee Report on Measurement of Poverty 2014,* http://www.im4change.org/siteadmin/tinymce//uploaded/Rangarajan-Report-on-Poverty.pdf

*** State of Indian Agriculture 2011-12, Ministry of Agriculture,*
http://agricoop.nic.in/SIA111213312.pdf

**** Annual Report on Employment-Unemployment Survey 2013-14, Labour Bureau,*
http://labourbureau.nic.in/Report%20%20Vol%201%20final.pdf

गरीबी के आकलन पर केंद्रित रंगराजन समिति की रिपोर्ट के तथ्य इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जिन राज्यों में खेती-बाड़ी का काम मुख्य रुप से मॉनसून पर निर्भर है वहां ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या राष्ट्रीय औसत(30.9 प्रतिशत) से ज्यादा है। मिसाल के लिए अध्ययनीत सात राज्यों में राजस्थान(21.4 प्रतिशत) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। कई राज्यों जैसे छत्तीसगढ़(49.2 प्रतिशत), ओड़िशा (47.8 प्रतिशत) मध्यप्रदेश (45.2 प्रतिशत) और झारखंड(45.9 प्रतिशत) के ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत संख्या का अन्तर राष्ट्रीय औसत की तुलना में 10 अंकों से भी ज्यादा है।

इन राज्यों के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट होता है, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को अपवाद-स्वरुप छोड़ दें तो अध्ययनीत सात राज्यों में से पांच राज्यों के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान उपर्युक्त राज्यों में मनरेगा के तहत सृजित कार्य-दिवसों और वंचित-वर्गों की इन कार्य-दिवसों में प्रतिभागिता का आकलन निम्नलिखित तालिका(टेबल 2ए और टेबल 2बी) से किया जा सकता है–

State	Household issued jobcards (in %)				% of household provided employment		
	SCs	STs	Others	Total	SCs	STs	Others
Bihar	26.3	1.7	72.0	100	26.8	1.8	71.4
Chhattisgarh	10.6	34.4	55.0	100	10.3	33.5	56.2
Jharkhand	12.8	38.4	48.8	100	12.5	38.7	48.8
Madhya Pradesh	15.8	28.1	56.1	100	16.3	31.3	52.4
Odisha	18.6	27.8	53.6	100	16.4	38.3	45.3
Rajasthan	18.2	17.6	64.2	100	20.1	24.0	55.9
Uttar Pradesh	32.9	1.0	66.1	100	35.1	0.9	64.0
India	21.5	13.6	64.9	100	22.7	17.0	60.3

Table 2a: Employment generated during the financial year 2014-2015 (in %)

Source: *Data accessed from MIS report section of* http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx

Table 2b: Employment generated during the financial year 2014-2015 (in %)

State	% of persondays generated					Families completed 100 Days (%)			
	SCs	STs	Others	Total	Women (in no. of persondays, lakhs)	SCs	STs	Others	Total
Bihar	28.0	1.8	70.2	100	138.2	28.8	1.5	69.7	100
Chhattisgarh	10.8	32.0	57.2	100	276.9	12.5	30.5	57.0	100
Jharkhand	13.6	35.5	50.9	100	145.1	16.0	32.0	52.0	100
Madhya Pradesh	15.9	28.7	55.4	100	505.5	15.8	26.5	57.7	100
Odisha	15.8	41.4	42.7	100	174.3	16.2	45.8	38.1	100
Rajasthan	19.8	26.3	53.9	100	1133.9	21.5	23.9	54.6	100
Uttar Pradesh	34.3	0.8	64.9	100	318.5	33.9	0.8	65.3	100
India	22.4	17.0	60.6	100	8909.6	20.9	20.5	58.5	100

Source: *Data accessed from MIS report section of* http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx

Table 3: Category wise works taken up in financial year 2014-15 (percentage share)

Works taken up (% share)	India	Bihar	Chhattisgarh	Jharkhand	Madhya	Odisha	Rajasthan	Uttar Prades

					Prades h			h
Rural Connectivity	13.58	10.45	20.4	21.82	15.82	22.18	15.65	33.13
Other Works	2.38	1.05	3.77	2.46	0.81	9.4	1.64	4.12
Land Development	6.54	3.36	21.71	6.6	9.83	11.53	3.36	4.32
Category IV Work	16.44	3.24	15.64	25.83	33.3	12.8	24.89	10.26
Micro Irrigation Works	3.61	1.57	1.49	1.63	0.11	1.1	2.72	3.64
Rural Sanitation	30.24	58.78	16.62	9.36	25.96	12.46	33.62	30.94
Bharat Nirmaan Rajiv Gandhi Soochna Kendra	0.38	0.52	0.75	0.73	0.48	0.8	0.86	0.03
Water Conservation and Water harvesting	9.57	1.85	8.75	27.67	8.34	8.6	8.31	4.43
Renovation of traditional water bodies	3.09	0.55	4.99	2.27	0.62	7.01	3.3	1.6
Playground	0.03	0	0	0.02	0	0.07	0	0.01
Anganwadi	0.07	0	0.35	0	0.23	0.37	0.04	0.03
Coastal Areas	0.01	0	0	0.04	0	0.01	0.01	0
Drought Proofing	11.3	18.25	4.09	1.37	4.07	13.04	4.75	3.75
Rural Drinking Water	0.13	0.02	0.92	0.09	0.22	0.09	0.01	0.05
Flood Control and Protection	2.53	0.34	0.48	0.11	0.16	0.4	0.84	3.68
Fisheries	0.1	0.02	0.04	0	0.05	0.14	0	0.01

Source: *MIS reports,* http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx *(accessed on 19 April 2015)*

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार-सृजन, व्यय और पर्यावरणीय महत्व के कार्य

Table 4: Category wise expenditure on works taken up in financial year 2014-15 (percentage share)

Expenditure on Works taken up (% share)	India	Bihar	Chhattisgarh	Jharkhand	Madhya Pradesh	Odisha	Rajasthan	Uttar Pradesh
Rural Connectivity	32.69	48.28	45.11	33.48	36.5	41.46	44.7	59.67
Other Works	1.73	2.73	0.94	1.07	0.37	7.55	0.61	3.46
Land Development	8.65	10.69	8.88	4.1	8.23	4.31	3.49	4.04
Category IV Work	10.76	2.73	4.01	27.48	30.66	1.86	9.76	1.2
Micro Irrigation Works	4.74	4.91	3.12	1.87	0.11	1.29	4.73	3.89
Rural Sanitation	3.1	2.74	0.48	0.93	3.25	1.1	2.05	5.2
Bharat Nirmaan Rajiv Gandhi Soochna Kendra	2.07	4.13	0.72	0.37	3	2.05	0.16	0.01
Water Conservation and Water harvesting	13.93	4.1	17.56	26.15	13.9	9.8	22.08	10.19
Renovation of traditional water bodies	12.39	1.44	14.62	3.89	0.64	7.36	7.16	2.7
Playground	0.09	0	0	0.07	0.01	0.16	0	0.02
Anganwadi	0.24	0	0.29	0	0.58	0.6	0.01	0.03
Coastal Areas	0.01	0	0	0.04	0	0	0	0
Drought Proofing	5.21	17.02	2.69	0.32	1.39	21.82	3.17	2.08
Rural Drinking Water	0.1	0.04	0.02	0.04	0.51	0.01	0.01	0.01
Flood Control and Protection	4.07	1.18	1.55	0.19	0.54	0.52	2.07	7.47
Fisheries	0.22	0.01	0.01	0	0.31	0.11	0	0.03

Source: *MIS reports,* http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx *(accessed on 19 April 2015)*

बिहार

नरेगा के कार्यों में पर्यावरणीय महत्व के कार्य

बिहार में वित्तवर्ष 2014-15 में नरेगा के अंतर्गत हुए कार्यो में सर्वाधिक हिस्सा ग्रामीण साफ-सफाई के कामों((58.94 प्रतिशत) का रहा जबकि सूखा-रोधन (ड्राऊट-प्रूफिंग) के कार्य (18.2 प्रतिशत) कुल कार्यों में हिस्से के आधार पर दूसरे नंबर पर हैं। ग्रामीण इलाकों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए किए जाने वाले कामों(रुरल कनेक्टिविटी) का हिस्सा 10.39 प्रतिशत रहा जबकि भूमि-विकास के कार्यों का 3.34 प्रतिशत। लेकिन राज्य में वित्तवर्ष 2014-15 में नरेगा के अंतर्गत हुए कुल कार्य में जल-संरक्षण तथा जल-छाजन के कार्यों का हिस्सा बहुत कम (1.84 प्रतिशत) है। ठीक इसी तरह कुल कार्यों में परंरागत जलागारों के नवीकरण के कार्यों का हिस्सा महज 0.55 प्रतिशत है। माइक्रो-इरीगेशन की श्रेणी में आने वाले सिंचाई के कार्यों का हिस्सा भी कम1.57 प्रतिशत) है।

पर्यावरणीय महत्व के कार्यों पर खर्च

बिहार के 38 जिलों में वित्तवर्ष 2014-15 में नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों पर व्यय के लिए कुल 1357.1 करोड़ की राशि उपलब्ध थी लेकिन इस राशि का केवल 72.3 प्रतिशत हिस्सा(981.7 करोड़) ही खर्च किया जा सका। बिहार में सबसे ज्यादा रकम (70.73 करोड़) गया जिले को हासिल हुई और सबसे कम(8.04 करोड़ रुपये) अरवल जिले को। उपलब्ध रकम की तुलना में सर्वाधिक खर्च शेखपुरा जिले में हुआ। इस जिले को 8.45 करोड़ रुपये हासिल हुए और जिले में खर्च 6.8 करोड़ रुपये का हुआ।

सर्वाधिक राशि (48.27 प्रतिशत) का व्यय रुरल कनेक्टिविटी के कार्यों पर हुआ जबकि सूखा-रोधन के कार्यों पर कुल व्यय की गई राशि का 17.07 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ। जल-संरक्षण और जल-छाजन से संबंधित कार्यों पर केवल 4.11 प्रतिशत राशि खर्च हुई जबकि परंपरागत जलाशयों के नवीकरण 1.45 प्रतिशत। माइक्रो-इरिगेशन के कार्यों पर जल-संरक्षण तथा जलाच्छादन से ज्यादा राशि (4.91 प्रतिशत) खर्च की गई। भूमि-विकास के कार्यों पर कुल व्यय की गई राशि का 10.7 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ।

छत्तीसगढ़

नरेगा के कार्यों में पर्यावरणीय महत्व के कार्य

वित्तवर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ में नरेगा में अंतर्गत हुए कुल कार्यों में भूमि-विकास के कार्यों का हिस्सा हालांकि सबसे ज्यादा (21.80 प्रतिशत) है लेकिन यह रुरल कनेक्टिविटी के अंतर्गत हुए कार्यों के हिस्सा (20.48 प्रतिशत) से थोड़ा ही कम है । ग्रामीण इलाकों में साफ-सफाई(रुरल सैनिटेशन) के अंतर्गत हुए कार्य (16.40 प्रतिशत) इस लिहाज से तीसरे नंबर पर हैं जबकि श्रेणी iv के अंतर्गत आने वाले कार्यों (15.66 प्रतिशत) चौथे नंबर पर। जल संरक्षण और जलाच्छादन के कार्यों का हिस्सा कुल काम में 8.76 प्रतिशत है जबकि परंपरागत जलागारों के नवीकरण के कार्य 5.01 प्रतिशत। सूखा-रोधन (4.10 प्रतिशत) और माइक्रो इरीगेशन के कार्य(1.46 प्रतिशत) वित्तवर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ में नरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों में प्राथमिकता के लिहाज से उपर्युक्त अन्य श्रेणी के कार्यों की तुलना में बहुत नीचे हैं।

पर्यावरणीय महत्व के कार्यों पर खर्च

छत्तीसगढ़ के कुल 27 जिलों में नरेगा के कार्यों के लिए वित्तवर्ष 2014-15 में खर्च के लिए कुल 1054.75 करोड़ की राशि उपलब्ध थी और छत्तीसगढ़ इस मद में उपलब्ध राशि से ज्यादा (1735.66 करोड़ रुपये) खर्च करने में सफल रहा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रकम(80.11 करोड़ रुपये) जसपुर जिले को हासिल हुआ और सबसे कम(5.73 करोड़) धमतरी जिले को । उपलब्ध राशि में सबसे ज्यादा(131.95 करोड़) खर्च करने वाला जिला भी धमतरी रहा।

राज्य में नरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों में सबसे ज्यादा खर्च रुरल कनेक्टिविटी के कामों (45.11 प्रतिशत) पर हुआ। व्यय की गई कुल राशि में जल-संरक्षण और जल-छाजन तथा परंपरागत जलागारों के नवीकरण के कामों पर खर्च की गई राशि की मात्रा (क्रमश 17.56 प्रतिशत और 14.62 प्रतिशत) भी रेखांकित करने योग्य है। इनकी कार्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में भूमि-विकास के कार्यों (8.89 प्रतिशत) तथा श्रेणी-4 के अंतर्गत आने वाले कार्यों (4.01 प्रतिशत) पर कहीं कम खर्च हुआ। माइक्रो इरिगेशन (3.12 प्रतिशत) तथा सूखारोधन (2.69 प्रतिशत) के कार्यों पर होने वाला खर्च भी अपेक्षाकृत कम है।

झारखंड

नरेगा के कार्यों में पर्यावरणीय महत्व के कार्य

झारखंड में वित्तवर्ष 2014-15 में नरेगा के अंतर्गत हुए कुल कार्यों में सबसे ज्यादा कार्य (27.66 प्रतिशत) जल-संरक्षण और जल-छाजन के रहे। श्रेणी-4 के अंतर्गत हुए कार्यों का हिस्सा 25.76 प्रतिशत रहा जबकि रुरल कनेक्टिविटी के अंतर्गत हुए कार्यों का 21.83 प्रतिशत। राज्य में नरेगा के अंतर्गत हुए कुल कार्यों में साफ-सफाई से संबंधित हुए कार्यों का हिस्सा 9.37 प्रतिशत है जबकि भूमि-विकास के कार्यों का 6.62 प्रतिशत। इन कार्यों की तुलना में परंपरागत जलागारों के नवीकरण तथा माइक्रो-इरीगेशन के कार्यों (क्रमश 2.27 प्रतिशत तथा 1.64 प्रतिशत)कम है। राज्य में नरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों में सूखा-रोधन के कार्य(1.38 प्रतिशत) प्राथमिकता के लिहाज से बहुत नीचे हैं।

पर्यावरणीय महत्व के कार्यों पर खर्च

राज्य में वित्तवर्ष 2014-15 में नरेगा के कार्यों के लिए कुल उपलब्ध राशि (2119.27 करोड़ रुपये) में केवल 48.9 प्रतिशत यानि 1037.2 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके। झारखंड में सबसे ज्यादा रकम देवघर जिले(187.61 करोड़ रुपये) को हासिल हुई और सबसे कम रकम सिमडेगा जिले(39.7 करोड़ रुपये) को। उपलब्ध राशि में सबसे ज्यादा खर्च(17.47 करोड़) करनेवाला जिला भी सिमडेगा रहा।

खर्च की गई राशि का सर्वाधिक हिस्सा रुरल कनेक्टिविटी(33.48 प्रतिशत) के कार्यों पर व्यय हुआ। श्रेणी- 4 के अंतर्गत आने वाले कार्यों पर राज्य में नरेगा के लिए खर्च की गई राशि का 27.48 प्रतिशत व्यय हुआ जबकि जल-संरक्षण और जल-छाजन पर इससे थोड़ा (26.16 प्रतिशत) ही कम। इन कार्यों की तुलना में राज्य में भूमि-विकास के कार्यो (4.10 प्रतिशत), परंपरागत जलागारों के नवीकरण (3.89 प्रतिशत) तथा माइक्रो इरिगेशन के कार्यों (1.87 प्रतिशत) पर बहुत कम व्यय हुआ। राज्य में सर्वाधिक कम व्यय(0.31 प्रतिशत) सूखारोधन के कार्यों पर हुआ।

मध्यप्रदेश

नरेगा के कार्यों में पर्यावरणीय महत्व के कार्य

वर्ष 2014-15 में मध्यप्रदेश में नरेगा के अंतर्गत किए गए कुल कार्यों में सबसे ज्यादा हिस्सा((33.27) श्रेणी-4 के अन्तर्गत आने वाले कार्यों का है। इसके बाद साफ-सफाई से संबंधित कामों(25.99 प्रतिशत) का स्थान है। राज्य में किए गए कुल कामों में रुरल कनेक्टिविटी के काम(15.82 प्रतिशत) प्राथमिकता के लिहाज से तीसरे नंबर पर हैं जबकि भूमि-विकास से संबंधित काम(9.81 प्रतिशत) चौथे नंबर पर।जल-संरक्षण और जलछाजन के कामों का राज्य में नरेगा के अंतर्गत किए गए कुल कामों में हिस्सा 8.34 प्रतिशत है जबकि सूखारोधन के कार्यों का हिस्सा 4.07 प्रतिशत रहा। परंपरागत जलागारों के नवीकरण (0.62 प्रतिशत) और माइक्रो इरिगेशन के कार्य(0.11 प्रतिशत) उपर्युक्त अन्य कार्यों की तुलना में बहुत कम हुए।

पर्यावरणीय महत्व के कार्यों पर खर्च

2014-15 में मध्यप्रदेश के 51 जिलों के लिए नरेगा के कामों में व्यय के लिए कुल 2877.74 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी। राज्य इससे ज्यादा रकम (2904.22 करोड़ रुपये) खर्च करने में सफल रहा। सबसे ज्यादा राशि बालाघाट जिले (166.92 करोड़ रुपये) को हासिल हुई जबकि एजीएआर मालवा जिले(0.1 लाख रुपये) को सबसे कम रकम । सागर जिले को कुल 58.54 करोड़ की रकम हासिल हुई और उसने सर्वाधिक यानि 70.53 करोड़ का खर्चा किया।

साल 2014-15 में मध्यप्रदेश में नरेगा के अंतर्गत किए गए कुल कार्यों में सबसे ज्यादा खर्चा रुरल कनेक्टिविटी(36.50 प्रतिशत) के काम पर हुआ। इसके बाद श्रेणी- 4 के अंतर्गत किए गये कार्यों का स्थान है जिनपर कुल व्यय का 30.66 प्रतिशत खर्च हुआ। जल-संरक्षण और जल-छाजन पर 13.90 प्रतिशत खर्चा हुआ जबकि भूमि-विकास के कार्यों पर कुल खर्चे का 8.23 प्रतिशत। रुरल सैनिटेशन के अंतर्गत आनेवाले साफ-सफाई के कार्य व्यय के लिहाज से कम प्राथमिकता वाले रहे। इन पर कुल व्यय का 3.25 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ जबकि सूखारोधन के कार्यों पर 1.40 प्रतिशत। परंपरागत जलागारों के नवीकरण (0.64 प्रतिशत) और माइक्रो इरिगेशन के कार्य(0.11 प्रतिशत) भी खर्च के लिहाज से कम प्राथमिकता वाले रहे।

ओड़िशा

नरेगा के कार्यों में पर्यावरणीय महत्व के कार्य

ओड़िशा में वर्ष 2014-15 में नरेगा के अंतर्गत किए गए कामों में सबसे ज्यादा हिस्सा रुरल कनेक्टिविटी (22.26) के अंतर्गत किए गए कार्यों का है।राज्य में नरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों में रुरल सैनिटेशन के कार्य (12.52 प्रतिशत) दूसरे नंबर पर हैं। सूखारोधन के कामों का हिस्सा 13.08 प्रतिशत है जबकि श्रेणी-4 के अंतर्गत किए गए कार्यों का हिस्सा 12.47 प्रतिशत। भूमि-विकास के कामों का हिस्सा कुल काम में 11.59 प्रतिशत और जल-संरक्षण और जलाच्छादन के कामों का हिस्सा 8.63 प्रतिशत है। परंपरागत जालागारों के नवीकरण (7.03 प्रतिशत) और माइक्रो इरीगेशन के अंतर्गत किए गए कार्य(1.10 प्रतिशत) अन्य श्रेणी के कार्यों की तुलना में प्राथमिकता के लिहाज से बहुत पीछे हैं।

पर्यावरणीय महत्व के कार्यों पर खर्च

ओड़िशा के 30 जिलों को वर्ष 2014-15 में 1074.59 करोड़ रकम हासिल हुई। राज्य इस रकम से 1069.09 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने में सफल रहा। सबसे ज्यादा रकम मयूरभंज जिले(186.58 करोड़ रुपये) को हासिल हुई और सबसे कम रकम जगतसिंहपुर (4.78 करोड़ रुपये) को जिले को। बोलांगिर जिला प्राप्त रकम (38.9 करोड़ रुपये) को खर्च(44.13 करोड़ रुपये) करने में अन्य जिलों की तुलना में अव्वल रहा।

ओड़िशा में वर्ष 2014-15 में नरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों में सबसे ज्यादा खर्च रुरल कनेक्टिविटी(कुल व्यय का 41.47 प्रतिशत) के कार्यों पर हुआ। सूखारोधन के कार्यों पर हुए कुल व्यय 21.83 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ जबकि जल-संरक्षण और जल-छाजन के कार्यों पर 9.80 प्रतिशत। परंपरागत जलागारों के नवीकरण पर कुल व्यय का 7.36 प्रतिशत खर्च हुआ किन्तु भूमि-विकास के कार्यों पर 4.32 प्रतिशत। श्रेणी -4 के कार्यों पर कुल व्यय का 1.86 प्रतिशत खर्च हुआ जबकि माइक्रो इरिगेशन के कार्यों पर 1.29 प्रतिशत।

राजस्थान

नरेगा के कार्यों में पर्यावरणीय महत्व के कार्य

राजस्थान में वर्ष 2014-15 में नरेगा के अंतर्गत हुए कुल कामों में सबसे ज्यादा हिस्सा रुरल सैनिटेशन(33.98 प्रतिशत) के अंतर्गत किए गए कार्यों का रहा। राज्य में नरेगा के अंतर्गत किए गए कुल कार्यों में श्रेणी -4 के अंतर्गत किए गए कार्य 24.37 प्रतिशत हैं जबकि रुरल कैनेक्टिविटी के कार्य 15.71 प्रतिशत । प्राथमिकता के लिहाज से जल-संरक्षण और जल छाजन (8.31 प्रतिशत) , सूखारोधन (4.77 प्रतिशत) , भूमि विकास (3.38 प्रतिशत) तथा माइक्रो इरीगेशन (2.74 प्रतिशत) के कार्य उपर्युक्त अन्य श्रेणी के कार्यों की तुलना में बहुत कम हैं।

पर्यावरणीय महत्व के कार्यों पर खर्च

राजस्थान के 33 जिलों को वर्ष 2014-15 में नरेगा के कार्यों के लिए 3332.71 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध थी और इस राज्य ने 3254.26 करोड़ रुपये खर्च किए। सबसे ज्यादा रकम बाड़मेर जिले (383.78 करोड़ रुपये) को हासिल हुई और सबसे कम झुंझनू(28.98 करोड़ रुपये) को। उपलब्ध राशि में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला जिला भी बाड़मेर(386.96 करोड़ रुपये) रहा।

राजस्थान में वर्ष 2014-15 में नरेगा के अंतर्गत हुए कुल व्यय में सवार्धिक खर्च रुरल कनेक्टिविटी(44.71 प्रतिशत) के कार्यों पर हुआ जबकि जल-संरक्षण और जल-छाजन के कार्यों पर कुल व्यय-राशि का 22.08 प्रतिशत ही हिस्सा खर्च हुआ। श्रेणी -4 के अंतर्गत आने वाले कार्यों पर कुल व्यय का 9.76 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ जबकि परंपरागत जलागारों के नवीकरण पर 7.16 प्रतिशत। माइक्रो इरिगेशन (4.73 प्रतिशत), भूमि विकास (3.48 प्रतिशत) तथा सूखारोधन (3.17 प्रतिशत) के कार्यों पर हुआ व्यय उपर्युक्त अन्य श्रेणी के कार्यों पर हुए व्यय के लिहाज से बहुत कम है।

उत्तरप्रदेश

नरेगा के कार्यों में पर्यावरणीय महत्व के कार्य

साल 2014-15 में उत्तरप्रदेश में नरेगा के अंतर्गत हुए कुल कार्यों में सबसे ज्यादा हिस्सा रुरल कनेक्टिविटी(33.25 प्रतिशत) के कार्यों का रहा। कुल कार्य में 31.02 प्रतिशत के हिस्से के साथ रुरल सैनिटेशन के कार्य राज्य में नरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों में दूसरे नंबर पर हैं। श्रेणी- 4 के अंतर्गत हुए कार्यों का हिस्सा राज्य में नरेगा के अंतर्गत हुए कुल कार्यों में 9.97 प्रतिशत है जबकि जल संरक्षण और जल छाजन के कामों का हिस्सा 4.45 प्रतिशत । भूमि-विकास (4.35 प्रतिशत), सूखारोधन (3.76 प्रतिशत), माइक्रो इरीगेशन (3.66 प्रतिशत) तथा परंपरागत जलागारों के नवीकरण(1.61 प्रतिशत) के कार्य नरेगा के अंतर्गत हुए कुल कार्यों में हिस्सेदारी के लिहाज से अन्य श्रेणी के कार्यों से बहुत कम हैं।

पर्यावरणीय महत्व के कार्यों पर खर्च

उत्तरप्रदेश को वर्ष 2014-15 में नरेगा के अंतर्गत कुल 41.54 करोड़ रुपये की रकम हासिल हुई और इस राज्य में कुल खर्च रहा 3110.48 करोड़ रुपये का। अधिकतम रकम कुशीनगर जिले(5.87 करोड़ रुपये) को हासिल हुई जबकि सिद्धार्थनगर को सबसे कम (- 5.41 करोड़ रुपये)।

राज्य में नरेगा के अंतर्गत हुए कुल कार्यों में सबसे ज्यादा खर्च रुरल कनेक्टिविटी(59.66 प्रतिशत) के कार्यों पर हआ। जल-संरक्षण और जल-छाजन के कामों पर कुल व्यय की गई राशि का 10.19 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया गया जबकि रुरल सैनिटेशन के कार्यों पर 5.20 प्रतिशत। भूमि-विकास (4.04 प्रतिशत), माइक्रो इरिगेशन(3.89 प्रतिशत), सूखारोधन (2.08 प्रतिशत), परंपरागत जलागारों के नवीकरण (2.70 प्रतिशत) तथा श्रेणी-4 के कार्यों (1.20 प्रतिशत) पर बहुत कम राशि का व्यय हुआ।

निष्कर्ष- वर्ष 2014-15 के दौरान अध्ययनीत सात राज्यों में ज्यादातर राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक व्यय रुरल कनेक्टिविटी और रुरल सैनिटेशन के कार्यों पर किया गया और इन दो श्रेणियों के कार्यों की प्रतिशत मात्रा पर्यावरणीय संरक्षण-संवर्धन के कार्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। रुरल कनेक्टिविटी तथा रुरल सैनिटेशन और पर्यावरणीय महत्व के कार्यों की मात्रा के

बीच का यह अन्तर अध्ययनीत सातों राज्यों में प्रतिशत मान पर 20 अंकों से भी ज्यादा का है। पर्यावरणीय महत्व के कार्यों की मात्रा के कम होने की अनेक वजहों में से एक वजह यह हो सकती है कि मनरेगा के नये अवतार के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों को अमल में आये अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और मनरेगा से जुड़े पूरे तंत्र को इसके अनुकूल बनाने के लिए पर्याप्त समय की जरुरत है।

(आलेख में इस्तेमाल मनरेगा संबंधी प्राथमिक तथ्य निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं) http://www.nrega.nic.in/netnrega/home.aspx

----

आलेख में इस्तेमाल द्वितीयक स्रोत-

1. एमजीनरेगा समीक्षा: ऐन एंथॉलॉजी ऑफ रिसर्च स्टडीज ऑन द महात्मा गांधी नेशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी(2005) एक्ट, 2006-2012, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

http://www.im4change.org/docs/63503975mgnrega_sameeksha.pdf

2.एनुअल रिपोर्ट 2013-14, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

http://rural.nic.in/netrural/rural/sites/downloads/annual-report/Annual_Report_2013_14_English.pdf

3. रुरल इफीशिएन्सी एक्ट: डिस्पाइट प्रोटेस्ट अबाउट डायलूटिंग नरेगा, पीएम इज राइट टू कन्फाइन इट टू 200 डिस्ट्रिक्टस्-- जगदीश भगवती, अरविन्द पानागढिया, 23 अक्तूबर 2014, टाइम्स ऑफ इंडिया

http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/rural-inefficiency-act-despite-protests-about-diluting-nrega-the-pm-is-right-to-confine-it-to-200-poorest-districts/

4. लेटर टू पीएम ऑन नरेगा फ्राम डेवलपमेंट इकॉनॉमिस्टस्, 14 अक्तूबर 2014

http://kafila.org/2014/10/14/letter-to-pm-on-nrega-from-development-economists/

5. नरेगा मजदूरों की काली दीवाली, ज्यां द्रेज, प्रभात खबर, 22 नवंबर 2014

http://bit.ly/1dk4RYj

6. नरेगा टू जीरो लान्चड, न्यू गाईडलाइन्स, 11 मई 2012

http://www.im4change.org/news-alerts/mgnrega-2-0-launched-new-guidelines-15082.html

7. स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2011-12, भारत सरकार

http://agricoop.nic.in/sia111213312.pdf